भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3998
दिनांक 25.03.2025 को उत्तरार्थ

ई-पंचायत अवसंरचना

3998 श्री धर्मेन्द्र यादवः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्रीमती भारती पारधीः

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश प्रदेश और महाराष्ट्र में ई-पंचायत की अवसंरचना स्थापित करने की राज्यवार वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) विभिन्न राज्यों में, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सभी ग्राम पंचायतों को विश्वसनीय इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने में राज्यवार प्रमुख चुनौतियाँ क्या हैं;

(ग) देश के दूरदराज के क्षेत्रों विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी नागरिकों को ई-पंचायत सेवाओं तक राज्यवार पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय तकनीकी सहायता और अनुरक्षण किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा है;

(घ) देश के दूरदराज के क्षेत्रों, विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित सभी नागरिकों को ई-पंचायत सेवाओं तक समान पहुंत सुनिश्चित करने और डिजिटल अंतर को पाटने के लिए राज्यवार क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) अन्य सरकारी डिजिटल प्लेटफार्मों और सेवाओं के साथ ई-पंचायत के एकीकरण के लिए योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पंचायती राज राज्य मंत्री

(प्रोफ. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) और (ङ) डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत, पंचायती राज मंत्रालय देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) को लागू कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य पंचायतों के कामकाज को नया रूप देना, उन्हें अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाना है। इस पहल के एक भाग के रूप में, मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज शुरू किया है, जो एक ऑनलाइन नियोजन

और लेखांकन एप्लिकेशन है, जिसे पंचायत की गतिविधियों जैसे आयोजना, लेखांकन और बजटन को सरल बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय पर भुगतान करने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) के साथ भी एकीकृत किया है। पंचायतें अपनी वार्षिक पंचायत विकास योजनाएँ तैयार करने और अपलोड करने के लिए ई-ग्रामस्वराज पोर्टल का उपयोग करती हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान ई-ग्रामस्वराज के तहत उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों द्वारा की गई प्रगति अनुलग्नक-Iमें दी गई है।

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय ने पंचायत की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ग्रामस्वराज को सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) के साथ एकीकृत किया है। यह एकीकरण पंचायतों को ई-ग्रामस्वराज प्लेटफॉर्म के माध्यम से जीईएम के जरिये वस्तुओं और सेवाओं की खरीद करने की अनुमति देता है, जिससे "वोकल फॉर लोकल" पहल को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, मंत्रालय द्वारा विकसित मेरी पंचायत जैसे एप्लीकेशनों में पंचायत में योजना,गतिविधियों और कार्यों की प्रगति की जानकारी जनता तक पहुँचाकर पंचायत शासन में पारदर्शिता लाने का प्रयास किया गया है। इसी तरह, पंचायत निर्णय एक ऑनलाइन एप्लिकेशन है जिसका उद्देश्य पंचायतों द्वारा ग्राम सभाओं के संचालन में पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन लाना है।

इसके अलावा, पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन की ऑनलाइन लेखापरीक्षा के लिए 'ऑडिटऑनलाइन' नामक एप्लिकेशन विकसित किया गया है। अप्रैल 2020 में पंचायतों के वित्तीय प्रबंधन को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के उपयोग के पारदर्शी लेखापरीक्षण के लिए ऑडिटऑनलाइन की शुरुआत की गई। लेखापरीक्षा वर्ष 2022-23 के लिए, 2.58 लाख लेखापरीक्षा योजनाएँ बनाई गई हैं और पीआरआई द्वारा 2.57 लाख लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई हैं।

(ख) डिजिटल इंडिया के विजन को प्राप्त करने के लिए, देश की सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने हेतु दूरसंचार विभाग (DoT) द्वारा चरणबद्ध तरीके से भारतनेट परियोजना को लागू किया जा रहा है। अब तक, कुल 2.68 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों (TLB) में से 2.18 लाख ग्राम पंचायतों/पारंपरिक स्थानीय निकायों को भारतनेट परियोजना के तहत हाई-स्पीड इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने हेतु सेवा के लिए तैयार किया गया है। डिजिटल कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, भारतनेट चरण- । और चरण- ॥ के मौजूदा नेटवर्क के उन्नयन और शेष ग्राम पंचायतों में नेटवर्क के निर्माण के लिए संशोधित भारतनेट कार्यक्रम को 04.08.2023 को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया था। दूरसंचार विभाग की भारतनेट परियोजना के तहत ग्राम पंचायतों में सेवा के लिए तैयार बिंदुओं की संख्या का विवरण अनुलग्नक- ॥ में देखा जा सकता है।

भारतनेट परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सहित राज्यों में निम्नलिखित चुनौतियाँ आईं:

I. भारतनेट एक मेगा परियोजना है, जो देश के सुदूर क्षत्रों में फैली हुई है, जो दुर्गम इलाकों (पर्वतीय/चट्टानी) को कवर करती है और सुदूर, पर्वतीय और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों तक पहुँचने में कठिनाई होती है।

II. अत्यधिक चुनौतीपूर्ण परियोजना जिसमें कई एजेंसियां डीओटी, बीबीएनएल, सीपीएसयू/केंद्रीय/राज्य एजेंसियां/संविदाकार आदि शामिल हैं।

III. विकास कार्यों जैसे पानी की पाइप बिछाने, सड़क चौड़ीकरण, गैस पाइप लाइन बिछाने और निर्माण गतिविधियों के कारण बिछाई गई ओएफसी को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ।

IV. पूरे देश में एक साथ काम करने के लिए अनुभवी निष्पादन एजेंसियों/संसाधनों की सीमित उपलब्धता।

V. रक्षा, वन और NHAI आदि जैसी एजेंसियों से ROW अनुमति प्राप्त करने में देरी।

VI. राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा निविदाओं को अंतिम रूप देने में देरी।

VII. राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (SIA) और परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (PIA) के बीच विवाद।

(ग) और (घ) मंत्रालय ने पंचायत स्तर पर डिजिटल सेवा प्रदायगी को बढ़ाने के लिए सर्विसप्लस को लागू किया है। यह विन्यास योग्य प्लेटफ़ॉर्म इलेक्ट्रॉनिक सेवाओं के तेजी से रोलआउट को सक्षम बनाता है। यह प्लेटफ़ॉर्म 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 3,606 से अधिक सेवाओं की सुविधा प्रदान करता है, कार्य की प्रगति को सुव्यवस्थित करता है, पारदर्शिता बढ़ाता है और दक्षता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा, मंत्रालय ने स्थानीय कार्यों को सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ संरेखित करते हुए मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर भी प्रस्तुत किया है। यह सुविधा नागरिकों की शिकायतों का प्रभावी रूप से समाधान करते हुए समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करने में पंचायतों का मार्गदर्शन करता है। वर्ष 2021 में आयोजित अभियान "मेरी पंचायत, मेरा अधिकार - जन सेवाएं हमारे द्वार" ने इन प्रयासों को मजबूत किया है। अब तक, 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपने नागरिक चार्टर अपलोड किए हैं, जो 954 सेवाएं प्रदान करते हैं।

मंत्रालय राज्यों द्वारा ई-ग्रामस्वराज एप्लिकेशन को अपनाने के लिए वर्चुअल और फिजिकल प्रशिक्षण एवं सक्षमता के माध्यम से लगातार राज्यों के साथ जुड़ा हुआ है। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें, कार्यशालाएँ, हैंड-होल्डिंग सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) भी इस परियोजना के कार्यान्वयन को समन्वय/सुविधा प्रदान करती है। सभी राज्य अपने उपलब्ध संसाधनों के आधार पर ई-पंचायत एमएमपी को लागू करने का प्रयास कर रहे हैं। हालाँकि, देश भर में पंचायतों की तैयारी के स्तर में अंतर के कारण, राज्य इन एप्लीकेशनों को लागू करने के विभिन्न चरणों में हैं।

*****

अनुलग्नक-I

'ई-पंचायत अवसंरचना'**केसंबंधमेंदिनांक25.03.2025 कोदिएजानेवालेलोकसभाअतारांकितप्रश्नसंख्या3998केभाग (क) एवं (ङ) केउत्तरमेंसंदर्भितअनुलग्नक।**

वित्तवर्ष 2024-25 केदौरानपंचायतस्तरपर ई-ग्रामस्वराजकोअपनाना

क्र.स.	राज्यकानाम	ग्र मपंचायतएवंसमक क्ष कीकुलसंख्या	ऑनबोर्ड ग्र मपंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली ग्र मपंचायतेंऔरसमक क्ष	ब्लॉ कपंचायतएवंसमक क्षकीकुलसंख्या	ऑनबोर्डब्लॉ कपंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली ब्लॉ कपंचायतेंऔरसमक क्ष	जि लापंचायतएवंसमक क्ष कीकुलसंख्या	ऑनबोर्डजि लापंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली जि लापंचायतेंऔरसमक क्ष
1	आंध्रप्रदेश	13328	13296	12970	660	660	642	13	13	13
2	अरुणाचलप्रदेश	2108	2106	222	0	0	0	27	25	8
3	असम	2662	2197	2176	191	191	189	30	29	27
4	बिहार	8054	8054	8045	534	534	530	38	38	38
5	छत्तीसगढ़	11596	11594	11516	146	146	146	27	27	27
6	गोवा	191	190	93	0	0	0	2	2	2
7	गुजरात	14656	14599	13890	248	248	248	33	33	33
8	हरियाणा	6226	6222	5914	143	143	134	22	22	22
9	हिमाचलप्रदेश	3615	3614	3540	81	81	81	12	12	12
10	झारखंड	4345	4345	4329	264	264	262	24	24	24
11	कर्नाटक	5954	5954	5937	238	232	126	31	31	28
12	केरल	941	941	941	152	152	152	14	14	14
13	मध्यप्रदेश	23011	23009	22980	313	313	310	52	52	52
14	महाराष्ट्र	27917	27894	26737	351	351	307	34	34	34
15	मणिपुर	3180	161	123	0	0	0	12	6	4

क्र.सं.	राज्यकानाम	ग्र मपंचायतएवंसमकक्ष कीकुलसंख्या	ऑनबोर्डग्र मपंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली ग्र मपंचायतेंऔरसमकक्ष	ब्लॉ कपंचायतएवंसमकक्षकीकुलसंख्या	ऑनबोर्डब्लॉ कपंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली ब्लॉ कपंचायतेंऔरसमकक्ष	जि लापंचायतएवंसमकक्ष कीकुलसंख्या	ऑनबोर्डजि लापंचायत	ऑनलाइनभुगतानवाली जि लापंचायतेंऔरसमकक्ष
16	मेघालय	6817	0	0	2241	0	0	3	3	0
17	मिजोरम	842	842	832	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	1289	186	0	0	0	0	0	0	0
19	ओडिशा	6794	6794	6793	314	314	314	30	30	30
20	पंजाब	13237	13222	9775	152	151	114	22	22	19
21	राजस्थान	11211	11207	10837	361	353	351	33	33	33
22	सिक्किम	199	199	195	0	0	0	6	6	6
23	तमिलनाडु	12525	12525	12519	388	388	388	36	36	36
24	तेलंगाना	12991	12768	12636	572	540	508	32	32	32
25	त्रिपुरा	1194	1185	1174	75	75	75	9	9	9
26	उत्तराखंड	7795	7794	7743	95	95	95	13	13	13
27	उत्तरप्रदेश	57691	57691	57609	826	826	818	75	75	75
28	पश्चिमबंगाल	3339	3339	3338	345	345	345	22	21	21
कुल		**263708**	**251928**	**242864**	**8690**	**6402**	**6135**	**652**	**642**	**612**

अनुलग्नक-II

'ई-पंचायत अवसंरचना'के संबंध में दिनांक **25.03.2025**को दिए जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या**3998**के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ब्रॉडबैंडकनेक्शनउपलब्धकरानेकेलिएतैयारसेवाबिंदुओंकाराज्यवारविवरण।

क्र.सं.	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	ग्रामपंचायतोंकीकुलसंख्या	तैयारसेवाबिंदुओंकीसंख्या*
1	अंडमान व निकोबारद्वीपसमूह	70	81
2	आंध्रप्रदेश	13327	12972
3	अरुणाचलप्रदेश	2108	1145
4	असम	2665	1634
5	बिहार	8054	8860
6	छत्तीसगढ़	11623	9759
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14674	14563
9	हरियाणा	6225	6204
10	हिमाचलप्रदेश	3615	416
11	जम्मूऔरकश्मीर	4291	1115
12	झारखंड	4345	4649
13	कर्नाटक	5948	6251
14	केरल	941	1130
15	लद्दाख	193	193
16	लक्षद्वीप	10	9
17	मध्यप्रदेश	23011	18106
18	महाराष्ट्र	27952	24778
19	मणिपुर	3812	1485
20	मेघालय	6838	697
21	मिजोरम	843	539
22	नागालैंड	1315	236
23	ओडिशा	6794	7099
24	पुदुचेरी	108	101
25	पंजाब	13236	12807
26	राजस्थान	11193	8997
27	सिक्किम	199	54
28	तमिलनाडु	12525	10298
29	तेलंगाना	12860	10926
30	दादराऔरनगरहवेलीऔरदमनऔरदीव	42	41

क्र.सं.	राज्य/संघराज्यक्षेत्र	ग्रामपंचायतोंकीकुलसंख्या	तैयारसेवाबिंदुओंकीसंख्या*
31	त्रिपुरा	1194	772
32	उत्तरप्रदेश	57691	47451
33	उत्तराखंड	7788	2021
34	पश्चिमबंगाल	3339	2958
	कुल	**269020**	**218347**

***डेटाभारतनेटयूएनएमएसडैशबोर्डसेप्राप्तकियाजाताहै, औरकुछग्रामपंचायतोंमेंकईसेवा-तैयारबिंदुहोसकतेहैं।**